राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1048/2024

गोविन्द सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मनोज कुमार, पशुधन सहायक, पशु चिकित्सालय, गूंती, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री डॉ. शिवेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र, धोलाखेडा, उदयपुवाटी, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पशु चिकित्सालय, गुन्ती, झुंझुनू किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने हमेशा संतोषजनक सेवायें दी हैं और भूतपूर्व सैनिक है। वर्ष 2018 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने उपरांत अपीलार्थी उक्त पद पर नियुक्त हुआ और अपीलार्थी 40 प्रतिशत स्थायी असक्षमता है। अपीलार्थी को विकलांग पेंशन भी भारतीय सेना द्वारा प्रदान की जा रही है। अपीलार्थी का भाई जो 80 प्रतिशत दिव्यांग है, जिसकी देखभाल भी अपीलार्थी द्वारा ही की जा रही है। फिर भी उक्त परिस्थितियों को

नजरअंदाज करते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण 2 वर्ष से भी कम अल्पावधि में किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकतानुसार जनहित में किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र, धोलाखेडा, उदयपुवाटी, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पशु चिकित्सालय, गुन्ती, झुंझुनू किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकतानुसार किया गया है, परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिव्यांग है और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है और सेवानिवृत्ति उपरांत अपीलार्थी राजकीय सेवा में नियुक्त हुआ। इस प्रकार मामले के वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य